न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 13/2019
दायर दिनांकः 03.06.2019
निर्णय दिनांक 04.11.2024

—: अनवान :—

1. श्री ललीत किशोर पिता श्री पन्नालाल जी सोनी आयु 36 वर्ष निवासी जिलोला तहसील आमेंट जिला राजसमन्द
2. श्री नारायण लाल पिता श्री पन्नालाल जी सोनी आयु 26 वर्ष निवासी जिलोला तहसील आमेंट जिला राजसमन्द

—: बनाम :—

1. ग्राम पंचायत जिलोला जरिये सरपच ग्राम पंचायत जिलोला तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्री दिनेश कुमार पिता श्री पन्नालाल जी सोनी आयु 30 वर्ष निवासी जिलोला तहसील आमेंट जिला राजसमन्द
3. श्रीमती मंजु सरणोत पत्नी श्री सुशील सरणोत जाती सरणोत आयु 50 वर्ष निवासी द्वारा सरणोत मेडीकल स्टोर सरकारी हॉस्पीटल के पास, आमेंट, तहसील आमेंट जिला राजसमन्द
4. श्री पन्नालाल पिता श्री किशनलाल जी सोनी आयु 65 वर्ष निवासी जिलोला तहसील आमेंट जिला राजसमन्द
5. श्रीमती सिमा पुत्री श्री पन्नालाल जी सोनी आयु 42 वर्ष निवासी जिलोला तहसील आमेंट जिला राजसमन्द
6. श्रीमती कौशल्या पुत्री श्री पन्नालाल जी सोनी आयु 40 वर्ष निवासी जिलोला तहसील आमेंट जिला राजसमन्द
7. श्रीमती गायत्री पुत्री श्री पन्नालाल जी सोनी आयु 38 वर्ष निवासी जिलोला तहसील आमेंट जिला राजसमन्द।

— अप्रार्थीगण

<u>निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994</u>

उपस्थितः—

1— श्री प्रवीण मण्डोवरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकार
2— श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3— श्री मुकेश देवपुरा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03
4— अप्रार्थी संख्या 02, 04 से 07 अनुपस्थित

न्यायालय जिला कलक्टर

6

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जीलोला तहसील आमेंट जिला राजसमन्द में निगराकारगण के हक आधिपत्य एवं कब्जे शुदा एक पुश्तैनी मकान स्थित है जो निगराकारगण को उनके पुर्वाधिकारीयों से विरासत से प्राप्त हुआ है तथा निगराकारगण को उक्त मकान में जन्म से ही अधिकार प्राप्त है तथा निगराकारगण व विपक्षी संख्या 2 व विपक्षी संख्या 4 से 7 को प्रत्येक का उक्त मकान में 1/7 हिस्सा निहित होकर सभी उक्त मकान का शामलाती रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त मकान के पूर्व में रामेश्वरलाल पिता औंकार जी सुखवाल का गेट, पश्चिम में रामलाल पिता गंगाराम का गेट, उत्तर में वाडा व भैरूलाल सुखलाल का मकान व दक्षीण में चौक व आम रास्ता स्थित है। उक्त मकान में निगराकार तथा विपक्षी संख्या 2 व विपक्षी संख्या 4 से 7 लगातार बिना किसी बाधा रूकावट के निवास कर रहे है तथा सभी शामलाती रूप से उक्त मकान का उपयोग उपभोग कर रहे है आज भी उक्त सभी उक्त मकान पर काबिज है उक्त मकान पर विधुत व नल का कनेक्सन प्राप्त कर रखा है। विपक्षी संख्या दो ने विपक्षी संख्या एक से मीली भगत कर उपरोक्त वर्णित पुरे मकान का एक फर्जी पट्टा धोखाधडी पुर्वक प्रार्थीगण/निगराकार को नुकसान पहुँचाने व उनका मकान में निहित हिस्सा हडपने की नियत से बना लिया जो विपक्षी संख्या 2 ने अपने निहित 1/7 हिस्से से परे जाकर सम्पुर्ण मकान का पट्टा अपने नाम से बनाया है तथा विपक्षी संख्या एक ने भी उक्त पट्टा अपने अधिकार से परे जाकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उक्त पट्टा जारी कर दिया है जिसे उप पंजियक महोदय आमेंट के यहां दिनांक 28/07/2017 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 52 में पृष्ठ संख्या 73 कम संख्या 201703147100604 पर पंजीबद्ध किया गया है। इसके पश्चात विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 3 से मिलि भगत कर उक्त अवैध एवं फर्जी पट्टे के आधार पर उक्त मकान के विक्रय पत्र का पंजियन विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में करवा दिया है जिसे उप पंजियक महोदय आमेंट के यहां दिनांक 18/08/2017 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 52 में पृष्ठ संख्या 145 कम संख्या 201703147100676 पर पंजीबद्ध किया गया है उक्त विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में बिना किसी विधिक अधिकार के मात्र मकान के अन्य हिस्सेदारो का हक मारने की नियत से नुमाईसी तौर पर निष्पादित कर पंजियन कराया है जो प्रारम्भ से ही अवैध एवं शुन्य होकर विपक्षी संख्या 3 को उक्त विक्रय पत्र से उक्त मकान में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है तथा वास्तव में मकान पर आज भी निगराकारगण व विपक्षी संख्या 2 व विपक्षी संख्या 4 से 7 ही काबिज है। विपक्षी संख्या एक द्वारा दिनांक 04/05/2017 को जारी पट्टा जिसे उप पंजियक महोदय आमेंट के यहां दिनांक 28/07/2017 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 52 में पृष्ठ संख्या 73 कम संख्या 201703147100604 पर पंजीबद्ध किया गया है व इसे जारी करने हेतु पारीत संकल्प संख्या 02 दिनांक 04/05/2017 अवैध विधि विरूद्ध व न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ होकर काबिले निरस्त है। विपक्षी संख्या एक ने प्रकरण के तथ्यो को जाने व समझे बिना ही आनन फानन में विपक्षी संख्या दो से मिली भगत कर निगराकारगण को नुकसान पहुँचाने व उनके आधिपत्य शुदा मकान में उनके निहित हिस्से को हडप करने की नियत से यह अवैध पट्टा जारी कर दिया है। विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जिस मकान का पट्टा जारी

न्यायालय जिला कलक्टर

किया गया है वह मकान प्रार्थीगण का पुश्तैनी होकर प्रार्थीगण के हक आधिपत्य एवं कब्जेशुदा है तथा उक्त मकान पर आज भी निगराकारगण शामलाती रूप से काबिज है। विपक्षी संख्या एक द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है वह राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अर्न्तगत जारी करना वर्णित किया गया है तथा इसके आगे रियायती पट्टा जारी करना बताया गया है उक्त दोनो तथ्य अपने आपमें विरोधभासी होकर विपक्षी संख्या एक द्वारा जारी शुदा उक्त पट्टा विधि विरूद्ध होकर काबिले निरस्त है। विपक्षी संख्या एक व दो ने अपने द्वारा किये गये अवैध कृत्य की जानकारी अन्य लोगो को नही हो सके इस कारण जान बुझ कर उक्त पट्टे को जारी करने में विधिक प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया है तथा बाला बाला बिना निगराकारगण की जानकारी व सहमती के उक्त पट्टा जारी कर दिया गया है जो काबिले निरस्त है। विपक्षी संख्या एक द्वारा बिना विधिक अधिकार के उक्त भूखण्ड के विक्रय का पट्टो जारी किया गया है वह अवैध होकर विपक्षी संख्या दो पट्टा धारक को भी उक्त पट्टे के माध्यम से कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। विपक्षी ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने से पुर्व निगराकारगण को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बाला बाला बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये यह पट्टा कर दिया जो अवैध व विधि के सिद्वान्तो के विपरीत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी निगराकार की यह निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या एक ग्राम पंचायत जिलोला द्वारा दिनांक 04/05/2017 को विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जारी पट्टा जिसे उप पंजियक महोदय आमेंट के यहां दिनांक 28/07/2017 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 52 में पृष्ठ संख्या 73 कम संख्या 201703147100604 पर पंजीबद्ध किया गया है व इसे जारी करने हेतु पारीत संकल्प संख्या 02 दिनांक 04/05/2017 को निरस्त किया जावे। तथा इस आशय की तहरीर उप पंजियक आमेंट को जारी की जाकर उक्त पट्टे पर निरस्तीकरण अंकन कराया जावे।

प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत तथा अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश देवपुरा द्वारा उपस्थिति दी और दिनांक 15.03.2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत रिविजन में अंकित तथ्यों को अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य होना बताया गया व अप्रार्थी संख्या 02, 04 से 07 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त किन्तु अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 05.03.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञापारित की गई।

अधिवक्ता निगराकार की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगराकार द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता निगराकार की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता निगराकार द्वारा अपनी बहस में निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम जीलोला तहसील

न्यायालय जिला कलक्टर

आमेंट जिला राजसमन्द में निगराकारगण के हक आधिपत्य एवं कब्जे शुदा एक पुश्तैनी मकान स्थित है जो निगराकारगण को उनके पुर्वाधिकारीयों से विरासत से प्राप्त हुआ है तथा निगराकारगण को उक्त मकान में जन्म से ही अधिकार प्राप्त है तथा निगराकारगण व विपक्षी संख्या 2 व विपक्षी संख्या 4 से 7 को प्रत्येक का उक्त मकान में 1/7 हिस्सा निहित होकर सभी उक्त मकान का शामलाती रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त मकान के पूर्व में रामेश्वरलाल पिता औंकार जी सुखवाल का गेट, पश्चिम में रामलाल पिता गंगाराम का गेट, उत्तर में वाडा व भैरूलाल सुखलाल का मकान व दक्षीण में चौक व आम रास्ता स्थित है। उक्त मकान में निगराकार तथा विपक्षी संख्या 2 व विपक्षी संख्या 4 से 7 लगातार बिना किसी बाधा रूकावट के निवास कर रहे है तथा सभी शामलाती रूप से उक्त मकान का उपयोग उपभोग कर रहे है आज भी उक्त सभी उक्त मकान पर काबिज है उक्त मकान पर विधुत व नल का कनेक्सन प्राप्त कर रखा है। विपक्षी संख्या दो ने विपक्षी संख्या एक से मीली भगत कर उपरोक्त वर्णित पुरे मकान का एक फर्जी पट्टा धोखाधडी पुर्वक प्रार्थीगण/निगराकार को नुकसान पहुँचाने व उनका मकान में निहित हिस्सा हडपने की नियत से बना लिया जो विपक्षी संख्या 2 ने अपने निहित 1/7 हिस्से से परे जाकर सम्पुर्ण मकान का पट्टा अपने नाम से बनाया है तथा विपक्षी संख्या एक ने भी उक्त पट्टा अपने अधिकार से परे जाकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उक्त पट्टा जारी कर दिया है जिसे उप पंजियक महोदय आमेंट के यहां दिनांक 28/07/2017 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 52 में पृष्ठ संख्या 73 कम संख्या 201703147100604 पर पंजीबद्ध किया गया है। इसके पश्चात विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 3 से मिलि भगत कर उक्त अवैध एवं फर्जी पट्टे के आधार पर उक्त मकान के विक्रय पत्र का पंजियन विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में करवा दिया है जिसे उप पंजियक महोदय आमेंट के यहां दिनांक 18/08/2017 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 52 में पृष्ठ संख्या 145 कम संख्या 201703147100676 पर पंजीबद्ध किया गया है उक्त विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में बिना किसी विधिक अधिकार के मात्र मकान के अन्य हिस्सेदारो का हक मारने की नियत से नुमाईसी तौर पर निष्पादित कर पंजियन कराया है जो प्रारम्भ से ही अवैध एवं शुन्य होकर विपक्षी संख्या 3 को उक्त विक्रय पत्र से उक्त मकान में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है तथा वास्तव में मकान पर आज भी निगराकारगण व विपक्षी संख्या 2 व विपक्षी संख्या 4 से 7 ही काबिज है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 21 दिनांक 04.05.17 को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान कराया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 को नियमानुसार पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को अस्वीकार कर खारिज की जायें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत जिलोला द्वारा दिनांक 04.05.2017 को पट्टा जारी किया। उक्त पट्टा निगरानीकार की सहमति एवं स्वीकृति व जानकारी में जारी किया गया। उक्त पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक महोदय के यहां दिनांक 28.07.2017 को हुआ। तत्पश्चात् विपक्षी संख्या 2 दिनेश कुमार पिता पन्ना लाल जी सोनी निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद ने उक्त रजिस्टर्ड पट्टाशुदा मकान जो कि केवल मात्र 248

वर्गफीट का है 3,96,800/– अक्षरे तीन लाख छिनवे हजार आठ सौ रूपये में मुझ विपक्षी संख्या 3 को विक्रय कर दिया व विक्रय राशि 3,96,800/– अक्षरे तीन लाख छिनवे हजार आठ सौ रूपये विपक्षी संख्या 2 ने प्राप्त कर मकान का कब्जा मुझ खरीददार विपक्षी संख्या 3 को सिपूर्द कर दिया। इस बात की जानकारी निगरानीकार एवं विपक्षी संख्या 4, 5, 6 व 7 को विक्रय की दिनांक से ही थी। विपक्षी संख्या 1 ने सभी नियमों का पालन कर विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया है, इस पट्टे को जारी कराने में विपक्षी संख्या 4 से लगायत 7 एवं निगरानीकार शामिल रहे है, लेकिन केवल मात्र मुझ विपक्षी संख्या 3 को नुकसान पहुंचाने के आशय से मिथ्या कथन कर निगरानीकार एवं विपक्षी संख्या 2, 4, 5, 6 व 7 ने दुर्भि संधि कर यह निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है, ताकि येन–केन प्रकारेन पट्टा निरस्त करवाए मेरे पक्ष में निष्पादित विक्रय दिनांक 18.08.2017 को प्रभावित किया जा सके। काननुन आबादी भूमि विनियमितिकरण विलेख सनद पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी करने के बाद पट्टाग्रहिता ने मुझ विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित दिनांक 18.08.2017 को कर कब्जा जायदाद का मुझे सूपूर्द कर दिया है, ऐसी स्थिति में निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में प्रस्तुत नही की जाकर केवल मात्र सिविल न्यायालय में ही पट्टे एवं विक्रय पत्र को चेलेन्ज किया जा सकता है, लेकिन यहां आपसी दुर्भि संधि निगरानीकार एवं विपक्षी संख्या 2, 4, 5, 6 व 7 मे होने से यह निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है, जो कानुनन चलने योग्य नहीं है। विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 के आवेदन पर पत्रावली कायम कर नियमानुसार पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया है एवं पट्टा दिनांक 28.07.2017 को उप पंजीयक द्वारा पंजीयन किया जा चुका है। तत्पश्चात् दिनांक 18.08.2017 को मुझ विपक्षी संख्या 3 को उक्त जायदाद जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर दी। इस तथ्य की जानकारी निगरानीकार को शुरू से थी, लेकिन उन्होने कभी कोई आपत्ति नहीं की। वास्तव में विपक्षी संख्या 2 अपनी जायदाद पर वर्षों से काबिज था और उसी आधार पर पट्टा जारी हुआ है और तत्पश्चात् विक्रय पत्र निष्पादित हुआ है। उक्त पट्टा जारी होने की प्रक्रिया में किसी प्रकार त्रुटि नहीं हुई है, ऐसी स्थिति मे पट्टा कानुनन निरस्त नहीं हो सकता है। निगरानी याचिका माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार की ही नही है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 का नियम 166 अपीलो के उप नियम 1 में यह वर्णित है कि नियम 154 के अधीन आबादी भूमि के विक्रय या नियम 160 के साथ पठित नियम 156 के अधीन आबादी भूमि के अंतरण या नियम 157, 158 या 159 के अधीन भूमियों के आंवटन की पुष्टि करने वाले पंचायत के किसी मूल आदेश की पंचायत समिति को अपील अधिनियम की धारा 61 के अनुसार हो सकेगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस मामले प्रार्थी/ निगरानीकार को विपक्षी संख्या 2 दिनेश कुमार के पक्ष में ग्राम पंचायत जिलोला द्वारा दिनांक 04.05.2017 को पंचायती राज नियम 157 के तहत जारी किये गये पट्टे को निरस्त कराने हेतु धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत पंचायत रिवीजन पेश नहीं कर सर्वप्रथम उक्त अधिनियम की धारा 61 के तहत पंचायत समिति में अपील पेश करनी चाहिये थी, जो नहीं कर विक्रय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त सिविल न्यायालय की शरण मे नही जाकर विधि के विपरीत माननीय न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो कानुनन चलने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमायी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। निगराकार द्वारा उक्त निगरानी याचिका ग्राम पंचायत जिलोला के द्वारा विपक्षी संख्या 02 के पक्ष मे जारी किये गये पट्टे के संबंध में प्रस्तुत की है। उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है। वह ग्राम पंचायत जिलोला द्वारा नियमानुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 से संबंधित नियम 143 से 157 की पालना में निर्धारित विधिक प्रक्रिया अनुसार जारी किया गया। ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 02 के पिता द्वारा पट्टा जारी करने पर कोई आपत्ति उनके या उनके वारिसान द्वारा नही की जायेगी, का नोटेरीशुदा शपथ पत्र पेश किया हुआ हैं।

कोरम बैठक में की गई कार्यवाही एवं आपत्ति आव्हान पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण दिनांक 01.05.2017 को पट्टा जारी करने का प्रस्ताव लिया जाकर नियमानुसार पट्टा क्रमांक 21 दिनांक 04.05.2017 प्रार्थी श्री दिनेश कुमार पिता पन्नालाल सोनी के नाम पट्टा जारी किया गया। तथा दिनांक 20.04.2017 को मौका पर्चा रिपोर्ट में भी विपक्षी संख्या 02 के वादग्रस्त स्थान पर लगभग 40 वर्षों से काबिज होना पाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में नियमानुसार सभी औपचारिकताएँ पुरी की है और उक्त पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की त्रुटी प्रमाणित होना नही पाया गया तथा निगराकार द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि उक्त पट्टा अवैध जारी किया गया हो। ऐसी स्थिति मे उक्त निगरानी याचिका आधारहीन पाये जाने से अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित समझता हुँ।

—::आदेश::—

अतः उपरोक्त विवेचान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत पंचायत रिवीजन को आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज की जाती है।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 04.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद